न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 47/2014, 52/2014 एवं 53/2014 जिला सीकर ।

1. गोरूराम पुत्र नानूराम, जाति नायक, निवासी वार्ड नं. 31 नया, सीकर, तहसील व जिला सीकर ।

अपीलान्ट

बनाम

1. सोनी देवी पत्नी बालचन्द, जाति नायक, निवासी वार्ड नम्बर 31 नया कोर्ट के पीछे, सीकर तहसील व जिला सीकर । (मृतक दौराने अपील)
   1/1 रामस्वरूप पुत्र बालचन्द
   1/2 आकाश पुत्र बालचन्द
   जाति नायक, निवासी नायकों का मौहल्ला, सीकर तहसील व जिला सीकर ।
   1/3 शारदा देवी पत्नी बनवारी पुत्री बालचन्द , जाति नायक, निवासी नायकों का मौहल्ला, फतेहपुर, तहसील फतेहपुर, जिला सीकर ।
   1/4 सेठ देवी पत्नी राजू पुत्री बालचन्द , जाति नायक, निवासी नायकों का मौहल्ला वार्ड नं. 7 सीकर ।
2. तहसीलदार सीकर ।

अपीलान्ट्स

अपील विरूद्ध आज्ञा जिला कलक्टर सीकर दिनांक 19.6.2014 अपील संख्या 65/2008 उनवानी सोनी देवी बनाम गोरूराम में तहसीलदार सीकर द्वारा नारायण की विरासत का गोरूराम के नाम तस्दीक नामांतरकरण संख्या 613 दिनांक 15.3.2008 को निरस्त कर प्रकरण पुनः निर्णय हेतु तहसीलदार को रिमाण्ड किया है ।

उपस्थित –

1 वकील अपीलान्ट श्री श्याम बाबू पारीक
2 रेस्पोंडेन्ट की ओर से कोई उपस्थित नहीं ।

अपील संख्या 52/2014 जिला सीकर।

1. चन्द्री देवी पत्नि स्व. दुलीचन्द
2. बनवारी लाल पुत्र स्व. दुलीचन्द
3. शंकर लाल पुत्र स्व. दुलीचन्द
   जति बलाई, निवासीगण– खसरा नम्बर 755, जगमालपुरा, तहसील व जिला सीकर ।

अपीलान्ट्स

Scanned by CamScanner

बनाम

1. गोरूराम पुत्र नानूराम, जाति नायक, निवासी वार्ड नं. 31, मौहल्ला नायकान, सीकर।
2. गीता देवी पत्नि स्व. श्री पप्पूराम मालावत
3. विनोद उर्फ पिन्टू पुत्र स्व. श्री पप्पूमराम मालावत
4. सुनील पुत्र स्व. श्री पप्पूराम मालावत
   निवासीगण सुभाष नगर , जेरठी, सीकर ।
5. बाबू लाल पुत्र मूलचन्द , जाति गर्वा (बलाई) निवासी खोरी डूंगर, तहसील व जिला सीकर ।
6. लक्ष्मणराम पुत्र मांगूराम, जाति मेघवंशी (बलाई) निवासी शाहपुर , तहसील व जिला सीकर ।
7. जितेन्द्र पुत्र गणपत राम खटीक, वार्ड नम्बर 5 , बकरा मण्डी के पास, सीकर ।

रेस्पोंडेन्ट्स

8. तहसीलदार सीकर तहसील , जिला सीकर (राजस्थान)
9. पटवारी हल्का कुडली, तहसील व जिला सीकर ।
10. सरपंच ग्रम पंचायत भादरवासी जिला सीकर ।
11. उप पंजीयक सीकर तहसील व जिला सीकर ।

तरतीबी रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आज्ञा जिला कलक्टर दिनांक 19.6.2014 अपील संख्या 32/2012 उनवानी चन्द्री देवी बनाम गोरूराम में तहसीलदार सीकर के आदेश दिनांक 16.4.2012 को बहाल रखा जाकर अपीलान्ट की अपील खारिज की है ।

उपस्थित –

1. वकील अपीलान्ट श्री बी.एस.राठौड
2. वकील रेस्पोंडेन्ट श्री श्याम बाबू पारीक

अपील संख्या 53/2014 जिला सीकर।

1. बनवारी लाल पुत्र स्व. दुलीचन्द
2. चन्द्री देवी पत्नि स्व. दुलीचन्द
3. शंकर लाल पुत्र स्व. दुलीचन्द
   जति बलाई, निवासीगण– खसरा नम्बर 755, जगमालपुरा, तहसील व जिला सीकर ।

अपीलान्ट्स

Scanned by CamScanner

बनाम

1. गोरूराम पुत्र नानूराम, जाति नायक, निवासी वार्ड नं. 31, मौहल्ला नायकान, सीकर (राजस्थान)।
2. गीता देवी पत्नि स्व. श्री पप्पूराम मालावत
3. विनोद उर्फ पिन्टू पुत्र स्व. श्री पप्पूराम मालावत
4. सुनील पुत्र स्व. श्री पप्पूराम मालावत
   निवासीगण सुभाष नगर , जेरठी, सीकर ।

रेस्पोंडेन्ट्स

5. तहसीलदार सीकर तहसील व जिला सीकर (राजस्थान)
6. पटवारी हल्का कुडली, तहसील व जिला सीकर ।
7. उप पंजीयक सीकर तहसील व जिला सीकर ।

तरतीबी रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आज्ञा जिला कलक्टर सीकर दिनांक 19.6.2014 अपील संख्या 19/2008 उनवानी दुलीचन्द बनाम गोरूराम में गोरूराम का वाद उप खण्ड अधिकारी से खारिज होने पर उसकी अपील भी राजस्व अपील अधिकारी एवं राजस्व मण्डल से खारिज होने पर तहसीलदार सीकर के आदेश दिनांक 15.3.2008 के खिलाफ अपील को खारिज की है ।

उपस्थित –

1. वकील अपीलान्ट श्री बी.एस.राठौड
2. वकील रेस्पोंडेन्ट श्री श्यामबाबू पारीक

निर्णय

दिनांक –29.4.2019

यह तीनों पृथक पृथक द्वितीय अपीलें राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत जिला कलक्टर सीकर के पृथक पृथक निर्णय दिनांक 19.6.2014 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है । तीनों प्रकरणों के तथ्य, विषयवस्तु, पक्षकार एवं निर्णय किये जाने वाले बिन्दु समान होने के कारण इन तीनों अपीलों का निर्णय एक ही आदेश के द्वारा किया जा रहा है । निर्णय की प्रति तीनों पत्रावलियों में रखी जावे । तीनों प्रकरणों के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :–

अपील संख्या 47/2014 गोरूराम बनाम सोनी देवी के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्रम जगमालपुरा, तहसील व जिला सीकर स्थित आराजी खसरा नम्बर 755 रकबा 1.23 हैक्टेयर का खातेदार नारायण पुत्र जोधा, जाति नायक था, जिसके फौत होने पर विरासत का नामांतरकरण संख्या 613 तहसीलदार सीकर ने दिनांक

Scanned by CamScanner

15.3.2008 को गोरूराम पुत्र नानूराम उर्फ नारायण, जाति नायक के नाम स्वीकार किया गया । उक्त नामांतरकरण संख्या 613 दिनांक 15.3.2008 से व्यक्ति होकर सोनी देवी दत्तक पुत्री नारायण द्वारा प्रथम अपील न्यायालय जिला कलक्टर सीकर के समक्ष प्रस्तुत की, जो अपील संख्या 65/2008 उनवानी सोनी देवी बनाम गोरूराम दर्ज की जाकर निर्णय दिनांक 19.6.2014 से पत्रावली पर उपलब्ध फोटो प्रति प्रमाण पत्र दिनांक 20.8.2008 प्रधानाध्यापक रा.उ.मा. वि. आनन्द नगर सीकर व प्रमाण पत्र कमांकः 128 दिनांक 18.8.2008 द्वारा प्रधानाचार्य रा..उ.मा.वि. सीकर के अवलोकन से जाहिर हुआ कि गोरूराम के पिता का नाम नानूराम है । प्रमाणित प्रतिलिपि चार्जशीट नं. 36/2009 दिनांक 4.3.2009 के द्वारा रेस्पों. सं. 1 गोरूराम व अन्य मुल्जिमान के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 420, 467, 468, 471, 120 (बी) आई.पी.सी. में फर्जी दस्तावेजात तैयार करने पर प्रकरण सक्षम न्यायालय में दर्ज हुआ है, जो लम्बित है । ऐसी स्थिति में प्रथमदृष्टया यह जाहिर होने पर कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपना आदेश पारित करने से पूर्व मृतक के विधिक वारिसान बाबत कोई जॉच नहीं की और ना ही विवादित भूमि पर कब्जे काश्त बाबत कोई जॉच की है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 15.3.2008 बाबत नामांतरकरण संख्या 613 निरस्त किया गया एवं प्रकरण तहसीलदार सीकर को पक्षकारान को सुनवाई व सबूत साक्ष्य पेश करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुये मृतक के विधिक वारिसान की जॉच कर अपना विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु तहसीलदार सीकर को प्रतिप्रेषित किया गया है । जिला कलक्टर सीकर के उक्त निर्णय दिनांक 19.6.2014 के खिलाफ अपीलान्ट गोरूराम द्वारा यह द्वितीय अपील प्रस्तुत कर स्वीकार , अपीलाधीन निर्णय जिला कलक्टर सीकर दिनांक 19.6.2014 निरस्त करने एवं तहसीलदार सीकर द्वारा तस्दीक नामांतरकरण संख्या 613 दिनांक 15.3.2008 कायम रखे जाने की प्रार्थना की ।

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

अपील संख्या 52/2014 चन्द्री देवी बनाम गोरूराम के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि उक्त विवादित भूमि के राजस्व अभिलेख में गोरूराम का नाम अभिलिखित होने के पश्चात् गोरूराम द्वारा भूमि जरिये विकय पत्र पप्पूराम मालावत पुत्र करताराम मालावत जो रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 गीता के पति एवं रेस्पोंडेन्ट 3 एवं 4 के पिता को विकय करने पर विकय पत्र के आधार पर नामांतरकरण संख्या 616 ग्रम पंचायत भादवासी द्वारा दिनांक 20.3.2008 को तस्दीक किया गया । ग्रम पंचायत द्वारा तस्दीक उक्त नामांतरकरण संख्या 616 दिनांक 20.3.2008 के खिलाफ उप खण्ड अधिकारी सीकर के समक्ष दुलीचन्द बनाम गोरूराम उनवानी प्रस्तुत अपील संख्या 9/08 में निर्णय दिनांक 20.7.2011 से अपील स्वीकार की जाकर ग्रम पंचायत भादवासी द्वारा तस्दीक नामांतरकरण सख्या 616 दिनांक 20.3.2008 निरस्त कर मृतक के वैध उत्तराधिकारी की जॉच कर निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण तहसीलदार सीकर को रिमाण्ड किया गया । प्रकरण तहसीलदार को रिमाण्ड होने पर तहसीलदार सीकर ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.4.2012 से आराजी खसरा नम्बर 755 रकबा 1.23 हैक्टेयर बा.दि. खातेदार गोरूराम नायक पुत्र

Scanned by CamScanner

नानूराम उर्फ नारायण , निवासी सीकर मृतक नानूराम का एक मात्र जीवित वारिस होने के कारण हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1955 की धारा 8 में वर्णित सूची के अनुसार एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 40 अन्तर्गत व्यक्तिशः पर्सनल लॉ के अनुसार वास्तविक विरासत के आधार पर मृतक नानूराम की खातेदारी उनके पुत्र गोरूराम नायक, निवासी सीकर के नाम जरिये नामांतरकरण संख्या 613 के तहत दर्ज हुई है । तत्पश्चात् विकय पत्र के आधार पर गोरूराम पुत्र नानूराम उर्फ नारायण नायक, निवासी सीकर की खातेदारी पप्पूराम मालावत पुत्र करताराम मालावत, जाति सांसी, निवासी जेरठी सुभाष नगर के नाम जरिये नामांतरकरण संख्या 616 द्वारा ग्रम पंचायत सरपंच भादवासी दिनांक 20.3.2008 को तस्दीक होने के फलस्वरूप दर्ज रिकार्ड हुई है एवं राजस्व रिकार्ड एवं मौका जॉच दिनांक 9.4.2012 के अनुसार केता पप्पूराम का, कय की गई आराजी पर कब्जा है । अतः ग्रम पंचायत के स्वीकृत शुदा नामांतरकरण संख्या 616 दिनांक 20.3.2008 के रिमाण्ड प्रकरण में किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाना उचित नहीं समझते हुये उसे यथावत बहाल रखा गया है । तहसीलदार के उक्त निर्णय दिनांक 16.4.2012 से व्यथित होकर चन्द्री देवी द्वारा अपील न्यायालय जिला कलक्टर सीकर के समक्ष अपील संख्या 32/2012 उनवानी चन्द्री देवी बनाम गोरूराम प्रस्तुत की जिसमें अपीलाधीन निर्णय दिनांक 19.6.2014 से चुनौतीग्रस्त आदेश द्वारा तहसीलदार सीकर ने विकय पत्र के आधार पर ग्रम पंचायत भादवासी द्वारा दिनांक 20.3.2008 को स्वीकृत नामांतरकरण संख्या 616 को यथावत बहाल रखे जाने का आदेश पारित किया है । अपीलान्ट के पति व पिता दुलीचन्द द्वारा विवादित भूमि के संबंध में प्रस्तुत राजस्व प्रकरण सक्षम न्यायालयों द्वारा खारिज किये जाने के साक्ष्य न्यायालय में लम्बित अपील संख्या 19/2008 की पत्रावली में उपलब्ध होने से चुनौतीग्रस्त आदेश के द्वारा विकय पत्र के आधार पर स्वीकृत नामांतरकरण को बहाल रखे जाने का आदेश तहसीलदार सीकर ने पारित किया है । जब तक विकय पत्र यथावत है तब तक चुनौतीग्रस्त आदेश में किसी तरह का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होने से अपील अपीलान्ट्स आधारहीन होने से खारिज की है । जिला कलक्टर सीकर के उक्त निर्णय दिनांक 19.6.2014 से व्यथित होकर अपीलान्ट चन्द्री देवी द्वारा यह द्वितीय अपील संख्या 52/2014 उनवानी चन्द्री देवी बनाम गोरूराम प्रस्तुत कर स्वीकार करने व अपीलाधीन निर्णय जिला कलक्टर सीकर दिनांक 19.6.2014 अपील संख्या 32/12 चन्द्री देवी बनाम गोरूराम व अन्य निरस्त किया जाकर नामांतरकरण संख्या 616 दिनांक 20.3.2008 ग्रम पंचायत भादवासी को एवं इसे यथावत रखे जाने के आदेश तहसीलदार सीकर दिनांक 16.4.2012 को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की ।

अपील संख्या 53/2014 बनवारी लाल बनाम गोरूराम के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि विवादित भूमि के खातेदार नारायण की विरासत के तहसीलदार सीकर द्वारा गोरूराम के नाम तस्दीक नामांतरकरण संख्या 613 दिनांक 15.3.2008 के

Scanned by CamScanner

खिलाफ दुलीचन्द बनाम गोरूराम उनवानी अपील संख्या 19/2008 में न्यायालय जिला कलक्टर सीकर ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 19.6.2014 पारित किया कि मूल नामांतरकरण संख्या 613 दिनांक 15.3.2008 ग्रम जगमालपुरा के अवलोकन से जाहिर है कि भूमि खसरा नम्बर 755 के खातेदार नारायण पुत्र जोधा नायक, साकिन सीकर का स्वर्गवास होने पर विरासत के आधार पर उक्त नामांतरकरण गोरूराम पुत्र नानूराम उर्फ नारायण, जाति नायक के नाम से तहसीलदार सीकर ने स्वीकार किया है । प्रमाणित प्रतिलिपि निर्णय दिनांक 25.9.2000 के अवलोकन से जाहिर है कि अपीलान्ट दुलीचन्द द्वारा प्रस्तुत वाद संख्या 217/1993 अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व धारा 136 भू राजस्व अधिनियम उनवानी दुलीचन्द बनाम निवाज वगै. वावत आराजी खसरा नम्बर 755 न्यायालय उप खण्ड अधिकारी सीकर द्वारा खारिज किया जा चुका है। जिसके विरूद्ध अपील अपीलान्ट दुलीचन्द द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील संख्या 37/2000 उनवानी दुलीचन्द बनाम निवाज वगै. माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर द्वारा दिनांक 6.7.2001 को तथा द्वितीय अपील संख्या 11529/01 /सीकर, उनवानी दुलीचन्द बनाम निवाज वगै. माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा दिनांक 16.11.2007 को खारिज की जा चुकी है । ऐसी स्थिति में अपीलान्ट उक्त अपील के माध्यम से किसी प्रकार की दादरसी विवादित भूमि के संबंध में प्राप्त करने का हकदार नहीं है । अतः अपील अपीलान्ट पोषणीय नहीं होने से खारिज की जाती है । जिला कलक्टर सीकर के उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.6.2014 से व्यथित होकर बनवारी लाल पुत्र दुलीचन्द वगै. ने यह द्वितीय अपील संख्या 53/2014 प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन निर्णय जिला कलक्टर सीकर दिनांक 19.6.2014 अपील संख्या 19/2008 उनवानी दुलीचन्द व अन्य बनाम गोरूराम व अन्य तथा नामांतरकरण सख्या 613 दिनांक 15.3.2008 ग्रम पंचायत भादवासी निरस्त किये जाने की प्रार्थना की ।

चित्रा
प्रतिलिपि ... जयपुर

तीनों अपीलें प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

अपील संख्या 47/2014 के अपीलान्ट गोरूराम एवं अपील संख्या 52/2014 एवं 53/2004 के रेस्पोंडेन्ट गोरूराम वगैहरा की ओर से योग्य अधिवक्ता ने बहस में मुख्य रूप से कथन किया कि विवादित भूमि के खातेदार नारायण के फौत होने पर तहसीलदार सीकर ने विरासत के नामांतरकरण संख्या 613 दिनांक 15.3.2008 को अपीलान्ट गोरूराम के नाम स्वीकार किया था इससे पूर्व प्रार्थी के आवेदन पर तहसीलदार ने बाद जॅाच दिनांक 12.3.2008 को मिसल नम्बर 16/08 पर आदेश पारित किया था जिसके खिलाफ रेस्पोंडेन्ट ने कोई अपील नहीं की । रेस्पोंडेन्ट सोनी देवी अपने आपको मृतक खातेदार नारायण की गौद की पुत्री होना कहती है, लेकिन अपने कथन के समर्थन में कोई गोदनामा प्रस्तुत नहीं किया । अपीलान्ट गोरूराम ने भूमि जरिये विकय पत्र पप्पूलाल को विकय करने पर विकय पत्र के

Scanned by CamScanner

आधार पर नामांतकरण संख्या 616 दिनांक 20.3.2008 को ग्रम पंचायत भादवासी द्वारा केता पप्पू लाल के नाम स्वीकार हो चुका था, जिसके खिलाफ अपील में उप खण्ड अधिकारी से प्रकरण तहसीलदार को रिमाण्ड हुआ और तहसीलदार ने आदेश दिनांक 16.4.2012 से विकय पत्र के आधार पर गोरूराम पुत्र नानूराम उर्फ नारायण नायक, निवासी सीकर की खातेदारी पप्पूराम मालावत पुत्र करताराम मालावत , जाति सांसी, निवासी जेरठी सुभाष नगर के नाम जरिये नामांतरकरण संख्या 616 द्वारा ग्रम पंचायत सरपंच भादवारी दिनांक 20.3.2008 को तस्दीक होने के फलस्वरूप दर्ज रिकार्ड होने एवं राजस्व रिकार्ड एवं मौका जॉच दिनांक 9.4.2012 के अनुसार केता पप्पूराम का कय की गई आराजी पर कब्जा होने से: ग्रम पंचायत जगमालपुरा के स्वीकृत शुदा नामांतरकरण संख्या 616 दिनांक 20.3.2008 के रिमाण्ड प्रकरण में किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाना उचित नहीं समझते हुये इसे यथावत बहाल रखा गया है तथा तहसीलदार के उक्त निर्णय दिनांक 16.4.2012 खिलाफ अपील संख्या 32/2012 उनवानी चन्द्री देवी बनाम गोरूराम में अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 19.6.2014 से जब तक विकय पत्र यथावत है तब तक चुनौतीग्रस्त आदेश में किसी तरह का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होने से अपील अपीलान्ट्स आधारहीन होने से खारिज की है । उनका कहना था कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपील संख्या 19/2008 उनवानी दुलीचन्द बनाम गोरूराम में भी जिला कलक्टर सीकर ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.6.2014 से भूमि खसरा नम्बर 755 के खातेदार नारायण पुत्र जोधा नायक, साकिन सीकर का स्वर्गवास होने पर विरासत के आधार पर उक्त नामांतरकरण गोरूराम पुत्र नानूराम उर्फ नारायण, जाति नायक के नाम से तहसीलदार सीकर ने स्वीकार किये जाने एवं दुलीचन्द द्वारा प्रस्तुत वाद संख्या 217/1993 अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व धारा 136 भू राजस्व अधिनियम उनवानी दुलीचन्द बनाम निवाज वगै. बाबत आराजी खसरा नम्बर 755 न्यायालय उप खण्ड अधिकारी सीकर द्वारा खारिज हुआ ओर इसके विरूद्ध प्रथम अपील एवं द्वितीय अपील भी राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर व माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा खारिज हो जाने से अपीलान्ट दुलीचन्द को उक्त अपील के मध्यम से किसी प्रकार की दादरसी विवादित भूमि के संबंध में प्राप्त करने का हकदार नहीं होना मानते हुये अपील अपीलान्ट पोषणीय नहीं होने से खारिज की है । उनका कहना था कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित भूमि के संबंध में दो अपीलें खारिज किये जाने से नारायण की विरासत का प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 613 दिनांक 15.3.2008 अंतिम हो चुका था , लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रश्नगत नामांतरकरण के खिलाफ अपील संख्या 65/2008 सोनी देवी बनाम गोरूराम को निर्णय दिनांक 19.6.2014 से अपील स्वीकार की जाकर नामांतरकरण संख्या 613 दिनांक 15.3.2008 निरस्त किया गया एवं प्रकरण तहसीलदार सीकर को पक्षकारान को सुनवाई व सबूत साक्ष्य पेश करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुये मृतक के विधिक वारिसान की जॉच कर अपना विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु तहसीलदार सीकर को

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
सीकर

Scanned by CamScanner

प्रतिप्रेषित किया है , जो विरोधाभाषी है । उनका कहना था कि तहसीलदार के निर्णय दिनांक 12.3.2008 के आधार पर प्रश्नगत नामांतरकरण 613 तस्दीक हुआ है । तहसीलदार की आज्ञा 12.3.2008 अंतिम हो चुकी है क्योंकि इसके विरूद्ध आज तक कोई अपील नहीं हुई है । ऐसी स्थिति में नामांतरकरण संख्या 613 के खिलाफ अपील चलने योग्य नहीं थी । उनका कहना था कि तहसीलदार का आदेश 12.3.2008 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 135 (2) के अन्तर्गत पारित आदेश था जिसकी अपील अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर को सुनने का क्षेत्राधिकार है । उनका यह भी कहना था कि बिना साक्ष्य व गोदनामें के रेस्पोंडेन्ट सोनी देवी के गोद के अधिकार तय नहीं हो सकते । अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोंडेन्ट ने धारा 96 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने की इजाजत भी प्राप्त नहीं की, जो कानूनन आवश्यक थी । अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील मियाद बाहर थी , लेकिन बिना संतोषजनक कारण के अन्दर मियाद मानने में भी विधिक त्रुटि की है । उनका कहना था कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण के महत्वपूर्ण एवं विधिक तथ्यों को नजरन्दाज करते हुये एवं इसी भूमि के संबंध में दो अपीलें खारिज करने के बावजूद अपील संख्या 65/2008 स्वीकार कर रिमाण्ड करने में विधिक त्रुटि की है । अतः अपील संख्या 47/2014 उनवानी गोरूराम बनाम सोनी देवी स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश जिला कलक्टर सीकर दिनांक 19.6.2014 निरस्त किया जावे तथा अपील संख्या 52/2014 उनवानी चन्द्री देवी बनाम गोरूराम एवं अपील संख्या 53/2014 बनवारी लाल बनाम गोरूराम खारिज की जावे ।

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

अपील संख्या 47/2014 में रेस्पोंडेन्ट की ओर से कोई हाजिर नहीं आये एवं अपील संख्या 52/2014 एवं 53/2014 उनवानी चन्द्री देवी बनाम गोरूराम व बनवारी लाल बनाम गोरूराम में अपीलान्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान मुख्य रूप से कथन किया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के पूर्व से ही विवादित भूमि पर अपीलान्ट्स का कब्जा काश्त चला आ रहा हैं व मौके पर पुख्ता मकानात बनाकर मय परिवार सहित निवास कर रहे हैं । उनका कहना था कि तहसीलदार सीकर के निर्देशानुसार तैयार की गई मौका रिपोर्ट में विवादित भूमि पर अपीलान्ट्स का कब्जा काश्त व आवास बने होना माना है तथा जमाबन्दी संवत 2015 से 2022 में साढे चार बीघा भूमि पर वे उप कृषक दर्ज है । उनका कहना था कि रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 गोरूराम उप खण्ड अधिकारी सीकर के समक्ष विचाराधीन वाद व अस्थाई निषेधाज्ञा में दिनांक 19.3.2008 को उपस्थित हुआ था तथा सम्पत्ति हस्तान्तरण अधिनियम के अन्तर्गत प्रतिबंधित होने के बावजूद भी बिना कब्जा हस्तान्तरण किये विकय पत्र दिनांक 17.3.2008 को पप्पूराम मालावत के नाम तहरीर करवा दिया और विकय पत्र के आधार पर ग्राम पंचायत भादवासी ने विवादित भूमि पर बिना कब्जे काश्त की जॉच किये तथा अपीलान्ट को बिना नोटिस दिये नामांतरकरण संख्या 616 दिनांक 20.3.2008 को केता पप्पूराम के नाम तस्दीक कर दिया , जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ एवं विधिविरूद्ध है । उनका

Scanned by CamScanner

कहना था कि पप्पूराम द्वारा भूमि का बेचान रेस्पोंडेन्ट संख्या 5 बाबू लाल, 6 लक्ष्मणराम एवं 7 जितेन्द्र को कर दिया । अपीलान्ट की अपील नामांतरकरण संख्या 616 दिनांक 20.3.2008 के खिलाफ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी सीकर ने निर्णय दिनांक 20.7.2011 द्वारा स्वीकार कर प्रकरण तहसीलदार सीकर को विवादित भूमि पर कब्जे काश्त की जॉच की जाकर पुनः निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड किया गया , लेकिन तहसीलदार सीकर ने विवादित भूमि पर कब्जे काश्त की जॉच किये बिना ही तथा अपीलान्ट्स को बिना नोटिस दिये व साक्ष्य सबूत का अवसर दिये बिना ही आदेश दिनांक 16.4.2012 पारित कर नामांतरकरण संख्या 616 दिनांक 20.3.2008 को यथावत रखने में विधिक त्रुटी की है । उनका कहना था कि दोनों अपीलों के अपीलान्ट्स को बिना नोटिस दिये व बिना साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिये तथा विवादित भूमि पर कब्जे काश्त की जॉच किये बिना ही मृतक खातेदार नारायण की विरासत का प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 613 दिनांक 15.3.2008 रेस्पोंडेन्ट गोरूराम के नाम तस्दीक करने में विधिक त्रुटि की है । उनका कहना था कि अधीनस्थ न्यायालय ने भी प्रकरण के तथ्यों एवं कानूनी पहलुओं को नजरन्दाज करते हुये अपीलान्ट्स की दोनों अपीलें अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.6.2014 से खारिज करने में विधिक त्रुटि की है । अतः दोनों अपील संख्या 52/14 एवं 53/14 स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश जिला कलक्टर सीकर दिनांक 19.6.2014, नामांतरकरण संख्या 616 दिनांक 20.3.2008, तहसीलदार सीकर के निर्णय दिनांक 16.4.2012 तथा नामांतरकरण संख्या 613 दिनांक 15.3.2008 विधि विरूद्ध होने से खारिज किये जावे ।

मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया । प्रकरण में विवाद विवादित भूमि के मृतक खातेदार नारायण की विरासत के संबंध में हैं । तहसीलदार सीकर ने मृतक खातेदार नारायण की विरासत का प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 613 दिनांक 15.3.2008 को गोरूराम के नाम तस्दीक कर दिया था । अपील संख्या 47/2014 की रेस्पोंडेन्ट सोनी देवी मृतक खातेदार नारायण की दत्तक पुत्री होने के आधार पर विवादित भूमि अपने नाम करवाना चाहती है और जिसके द्वारा नामांतरकरण संख्या 613 दिनांक 15.3.2008 के खिलाफ की गई अपील को अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर सीकर ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.6.2014 द्वारा स्वीकार कर नामांतरकरण संख्या 613 दिनांक 15.3.2008 निरस्त करते हुये पक्षकारान को सुनवाई व सबूत साक्ष्य पेश करने का समुचित अवसर प्रदान कर, मृतक के विधिक वारिसान की जॉच कर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु तहसीलदार सीकर को रिमाण्ड किया है ।

उक्त अपील के अलावा अन्य दो अपीले 52/2014 एवं 53/2014 के अपीलान्ट्स विवादित भूमि पर उनका कब्जा काश्त व मकानात बने होने के आधार पर विवादित भूमि के खातेदार नारायण की विरासत के गोरूराम के नाम तस्दीक नामांतरकरण संख्या 613 दिनांक् 15.3.2008 एवं गोरूराम द्वारा पप्पूराम को विक्रय

Scanned by CamScanner

की भूमि के नामांतरकरण संख्या 616 दिनांक 20.3.2008 एवं तहसीलदार सीकर के निर्णय दिनांक 16.6.2012 को निरस्त कराने हेतु अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर सीकर के समक्ष प्रस्तुत अपीलें कमशः अपील संख्या 32/2012 चन्द्री देवी बनाम गोरूराम में अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.6.2014 से अपीलान्ट के पति व पिता दुलीचन्द द्वारा विवादित भूमि के संबंध में प्रस्तुत राजस्व प्रकरण सक्षम न्यायालयों से खारिज किये जाने के साक्ष्य न्यायालय हाजा में लम्बित अपील संख्या 19/2008 की पत्रावली में उपलब्ध होने तथा जब तक विक्रय पत्र यथावत है तब तक चुनौतीग्रस्त आदेश में किसी तरह का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं मानते हुये अपील अपीलान्ट आधारहीन होने से खारिज की है ।

इसी प्रकार विवादित भूमि के मृतक खातेदार नारायण की विरासत के नामांतरकरण संख्या 613 दिनांक 15.3.2008 के खिलाफ प्रस्तुत अपील संख्या 19/2008 दुलीचन्द बनाम गोरूराम में अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.6.2014 से मूल नामांतरकरण संख्या 613 दिनांक 15.3.2008 ग्रम जगमालपुरा के अवलोकन से जाहिर होने, कि भूमि खसरा नम्बर 755 के खातेदार नारायण पुत्र जोधा नायक, साकिन सीकर का स्वर्गवास होने पर विरासत के आधार पर उक्त नामांतरकरण गोरूराम पुत्र नानूराम उर्फ नारायण जाति नायक के नाम से तहसीलदार सीकर द्वारा स्वीकार करने तथा प्रमाणित प्रतिलिपि निर्णय दिनांक 25.9.2000 के अवलोकन से जाहिर होने कि अपीलान्ट दुलीचन्द द्वारा प्रस्तुत वाद संख्या 217/1993 अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व धारा 136 भू राजस्व अधिनियम उनवानी दुलीचन्द बनाम निवाज वगै. बाबत आराजी खसरा नम्बर 755 न्यायालय उप खण्ड अधिकारी सीकर द्वारा खारिज किये जाने तथा इसके विरूद्ध दुलीचन्द द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील संख्या 37/2000 उनवानी दुलीचन्द बनाम निवाज वगै. माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर द्वारा दिनांक 6.7.2001 को तथा द्वितीय अपील संख्या 11529/01 /सीकर उनवानी दुलीचन्द बनाम निवाज वगै. माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा दिनांक 16.11.2007 को खारिज हो जाने से अपीलान्ट को उक्त अपील के मध्यम से किसी प्रकार की दादरसी विवादित भूमि के संबंध में प्राप्त करने का हकदार नहीं होना मानते हुये अपील अपीलान्ट पोषणीय नहीं होने से खारिज की है ।

अपील संख्या 47/2014 के अपीलान्ट एवं अपील संख्या 52/14 एवं 52/14 के रेस्पोंडेन्ट गोरूराम के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में न्यायालय अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीकर जिला सीकर के निर्णय दिनांक 27.4.2019 का अवलोकन किया गया जिसके द्वारा अभियुक्त गोरूराम को को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 467, 468, 471 एवं 120 बी भारतीय दण्ड संहिता केअधीन दण्डनीय अपराधों के आरोपों से सन्देह का लाभ दिया जाकर एवं धारा 420 भारतीय दण्ड संहिता के अधीन दण्डनीय अपराध के आरोप से जरिए राजीनामा दोषमुक्त घोषित किया गया है ।

Scanned by CamScanner

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में हम समझते हैं कि प्रकरण में मुख्य विवाद मृतक खातेदार नारायण की विरासत के नामांतरकरण संख्या 613 दिनांक 15.3.2008 जो तहसीलदार ने गोरूराम के नाम तस्दीक किया है एवं गोरूराम द्वारा भूमि के विक्रय किये जाने के पश्चात् विक्रय पत्र के आधार पर क्रेता पप्पूराम मालावत के नाम भरे गये नामांतरकरण संख्या 616 दिनांक 20.3.2008 को ग्रम पंचायत भादवासी द्वारा तस्दीक किया है, के संबंध में है ।

अपील संख्या 47/2014 उनवानी गोरूराम बनाम सोनी देवी

मृतक खातेदार नारायण की विरासत के नामांतरकरण संख्या 613 दिनांक 15.3.2008 के खिलाफ सोनी देवी दत्तक पुत्री नारायण द्वारा प्रथम अपील न्यायालय जिला कलक्टर सीकर के समक्ष प्रस्तुत की , जो निर्णय दिनांक 19.6.2014 से पत्रावली पर उपलब्ध फोटो प्रति प्रमाण पत्र दिनांक 20.8.2008 प्रधानाध्यापक रा.उ. मा. वि. आनन्द नगर सीकर व प्रमाण पत्र कमांकः 128 दिनांक 18.8.2008 द्वारा प्रधानाचार्य रा.चित.उ.मा.वि. सीकर के अवलोकन से गोरूराम के पिता का नाम नानूराम होना, प्रमाणित प्रतिलिपि चार्जशीट नं. 36/2009 दिनांक 4.3.2009 के द्वारा रेस्पों. सं. 1 गोरूराम व अन्य मुल्जिमान के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 420, 467, 468, 471, 120 (बी) आई.पी.सी. में फर्जी दस्तावेजात तैयार करने पर प्रकरण सक्षम न्यायालय में लम्बित होने से प्रथमदृष्टया यह जाहिर होना कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपना आदेश पारित करने से पूर्व मृतक के विधिक वारिसान बाबत कोई जॉच नहीं करने और ना ही विवादित भूमि पर कब्जे काश्त बाबत कोई जॉच करने से अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 15.3.2008 बाबत नामांतरकरण संख्या 613 निरस्त किया गया एवं प्रकरण तहसीलदार सीकर को पक्षकारान को सुनवाई व सबूत साक्ष्य पेश करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुये मृतक के विधिक वारिसान की जॉच कर अपना विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु तहसीलदार सीकर को प्रतिप्रेषित किया गया है । हम समझते हैं कि सोनी देवी दत्तक पुत्री नारायण को भी नारायण की विरासत के नामांतरकरण को तस्दीक करने से सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया जाना एवं मृतक के विधिक वारिसान एवं कब्जे काश्त की जॉच किया जाना प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के परिपेक्ष्य में न्यायिक रूप से आवश्यक था, लेकिन तहसीलदार ने बिना वारिसान की जॉच एवं कब्जे काश्त की जॉच किये बिना तथा सोनी देवी को बिना सुने व बिना सुनवाई का अवसर दिये प्रश्नगत नामांतरकरण तस्दीक किया है, जो विधिसम्यक नहीं है । इसी परिपेक्ष्य में जिला कलक्टर सीकर ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.6.2014 द्वारा सोनी देवी की अपील स्वीकार की जाकर प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 613 दिनांक 15.3.2008 निरस्त किया गया एवं प्रकरण तहसीलदार सीकर को पक्षकारान को सुनवाई व सबूत साक्ष्य पेश करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुये मृतक के विधिक वारिसान की जॉच कर अपना विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु तहसीलदार सीकर को रिमाण्ड करने में कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होने से हम अपीलाधीन आदेश में कोई हस्तक्षेप

Scanned by CamScanner

किया जाना उचित नहीं समझते हैं तथा अपील खारिज किये जाने योग्य है । परिणामस्वरूप अपील संख्या 47/2014 खारिज की जाती है ।

अपील संख्या 53/2014 उनवानी बनवारी पुत्र दुलीचन्द बनाम गोरूराम एवं अपील संख्या 52/2014 चन्द्री देवी पत्नि दुलीचन्द बनाम गोरूराम

अपील संख्या 53/14 भी उक्त मृतक खातेदार नारायण की विरासत के प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 613 दिनांक 15.3.2008 के खिलाफ एवं अपील संख्या 52/14 विक्रय पत्र के आधार पर तस्दीक नामांतरकरण संख्या 616 दिनांक 20.3.2008 के खिलाफ कमशः बनवारी पुत्र दुलीचन्द व चन्द्री देवी पत्नि दुलीचन्द की अपीलों में अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर सीकर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.6.2014 के खिलाफ प्रस्तुत की है । बनवारी व चन्द्री देवी विवादित भूमि पर कब्जा एवं मकानात बने होने के आधार पर प्रश्नगत दोनों नामांतरकरणों एवं अपीलाधीन आदेशों को निरस्त कराना चाहते हैं । नारायण की विरासत के नामांतरकरण संख्या 613 दिनांक 15.3.2008 के खिलाफ दुलीचन्द बनाम गोरूराम उनवानी अपील में अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर सीकर ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.6.2014 द्वारा अपीलान्ट दुलीचन्द द्वारा प्रस्तुत वाद संख्या 217/1993 अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व धारा 136 भू राजस्व अधिनियम उनवानी दुलीचन्द बनाम निवाज वगै. बाबत आराजी खसरा नम्बर 755 न्यायालय उप खण्ड अधिकारी सीकर द्वारा खारिज किया जा चुका है, जिसके विरूद्ध दुलीचन्द द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील संख्या 37/2000 उनवानी दुलीचन्द बनाम निवाज वगै. माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर द्वारा दिनांक 6.7.2001 को तथा द्वितीय अपील संख्या 11529/01 /सीकर उनवानी दुलीचन्द बनाम निवाज वगै. माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा दिनांक 16.11.2007 को खारिज की जा चुकी है । ऐसी स्थिति में अपीलान्ट उक्त अपील के मध्यम से किसी प्रकार की दादरसी विवादित भूमि के संबंध में प्राप्त करने का हकदार नहीं है । अतः अपील अपीलान्ट पोषणीय नहीं होने से खारिज की गई है ।

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

गोरूराम द्वारा विकय की गई विवादित भूमि के विकय पत्र के आधार पर केता के पप्पूराम मालावत के नाम ग्रम पंचायत द्वारा तस्दीक नामांतरकरण संख्या 616 दिनांक 20.3.2008 के खिलाफ उप खण्ड अधिकारी सीकर के समक्ष प्रस्तुत दुलीचन्द बनाम गोरूराम उनवानी अपील संख्या 9/08 में निर्णय दिनांक 20.7.2011 से अपील स्वीकार की जाकर ग्रम पंचायत भादवासी द्वारा तस्दीक नामांतरकरण सख्या 616 दिनांक 20.3.2008 निरस्त कर मृतक के वैध उत्तराधिकारी की जॅाच कर निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण तहसीलदार सीकर को रिमाण्ड किया गया जिस पर तहसीलदार सीकर ने निर्णय दिनांक 16.4.2012 पारित कर ग्रम जगमालपुरा के स्वीकृतशुदा नामांतरकरण संख्या 616 दिनांक 20.3.2008 के रिमाण्ड प्रकरण में किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाना उचित नहीं समझते हुये यथावत रखा गया है , जिसके खिलाफ चन्द्री द वी पत्नी दुलीचन्द की अपील में

Scanned by CamScanner

जिला कलक्टर सीकर ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 19.6.2014 से चुनौतीग्रस्त आदेश द्वारा तहसीलदार सीकर दिनांक 16.4.2012 को इस आधार पर यथावत रखा है कि अपीलान्ट के पति व पिता दुलीचन्द द्वारा विवादित भूमि के संबंध में प्रस्तुत राजस्व प्रकरण सक्षम न्यायालयों द्वारा खारिज किये जाने के साक्ष्य न्यायालय में लम्बित अपील संख्या 19/2008 की पत्रावली में उपलब्ध होने से चुनौतीग्रस्त आदेश के द्वारा विक्रय पत्र के आधार पर स्वीकृत नामांतरकरण को बहाल रखे जाने का आदेश तहसीलदार सीकर ने पारित किया है । जब तक विक्रय पत्र यथावत है तब तक चुनौतीग्रस्त आदेश में किसी तरह का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होने से अपील अपीलान्ट्स आधारहीन होने से खारिज की है ।

हम समझते हैं कि हम समझते हैं कि प्रकरण में विवादित भूमि के संबंध में अपीलान्ट बनवारी के पिता एवं चन्द्री देवी के पति दुलीचन्द का वाद एवं अपील माननीय राजस्व मण्डल तक से खारिज होने के बाद नामांतरकरण की अपील में उन्हें कोई सहायता प्राप्त नहीं हो सकती क्योंकि नामांतरकरण की कार्यवाही तो मात्र भू राजस्व की देयता के लिये राजस्व अभिलेख में प्रविष्टियों की एक मात्र प्रकिया है जिसमें पक्षकारों के अधिकारों का निर्धारण नहीं हो सकता । ऐसी स्थिति में हम अपीलाधीन आदेश जिला कलक्टर सीकर दिनांक 19.6.2014 में कोई विधिक त्रुटि नहीं होने से हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं तथा अपील अपीलान्ट संख्या 53/2014 एवं 52/2014 खारिज किये जाने योग्य है । परिणामस्वरूप उक्त तीनों अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है ।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

चित्रा

(चित्रा गुप्ता)

अति. सम्भागीय आयुक्त

जयपुर

Scanned by CamScanner